


नांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
24/6/22	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवदेन प्राप्त हुआ है। जो निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम-खरडीहा के खाता सं०-02 प्लॉट सं०-267 रकवा-0.34 ए० एवं खाता सं०-03 प्लॉट सं०-21 रकवा-0.34 ए० कुल रकवा-0.68 ए० अयोध्या यादव पिता शिवदत्त रजवार सा०-खरडीहा से क्रय किये है। 2. उक्त खरीदी केवाला के आधार पर नामान्तरण वाद सं०-64/2010-11 अंचल अधिकारी, मझिऑव द्वारा नामान्तरण के पश्चात् मॉग पंजी-2 के पृष्ठ सं०-71 संयुक्त में मॉग कायम हो कर रसीद निर्गत होने लगा। 3. उक्त नामान्तरण एवं मॉग दर्ज होने के कारण हालसर्वे के खतियान के आधार पर खाता सं०-41 प्लॉट सं०-306 रकवा-0.34 ए० का मॉग 28/3 पर Update हुआ है। 4. खाता सं०-39 प्लॉट सं०-341 रकवा-0.34 ए० का मॉग पूर्व जमाबंदी के अनुसार 38/3 पर Update हुआ है। 5. नामान्तरण वाद सं०-64/2010-11 अंचल अधिकारी, मझिऑव के विरुद्ध आवेदक रामदेव रजवार L.C. Case No- 10/2007-08 उपसमाहर्ता भूमि सुधार के न्यायालय में अपील दायर किये है। 6. उक्त वाद में उपसमाहर्ता, महोदय गढ़वा आवेदक के पक्ष में केवाला निष्पादित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवदेन के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी, बरडीहा(गढ़वा)।</p> <p> अंचल अधिकारी, बरडीहा(गढ़वा)।</p>	